राज्य सूचना आयोग
बिहार, पटना

के0 संख्या– 48/06–07

विषय – श्रीमती समुन्द्री देवी, ग्राम–मखदुमपुर, थाना–अरवल (बिहार) का प्राप्त आवेदन–पत्र।

09.11.2006 श्री शिवप्रसाद सिंह, गव्य विकास पदाधिकारी–सह–लोक सूचना पदाधिकारी, मधुबनी को आवेदन की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए दिनांक–01.12.06 तक कंडिकावार प्रतिवेदन की मांग की जाय तथा दिनांक–06.12.06 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में संबंधित कागजातों के साथ सुनवाई हेतु उपस्थित होने का निर्देश दें तथा आवेदक को भी सूचित करें।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

06.12.2006 दिनांक 09.11.2006 के आदेश के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई अभी तक नहीं हो पायी है। अतएव सुनवाई के लिए दिनांक 08.01.07 को 11.00 बजे प्रातः उपस्थापित किया जाय।

(पी0एन0 नारायणन)	(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

08.01.2007 आवेदक उपस्थित थे । गव्य विकास निदेशालय द्वारा यह सूचना दी गयी है कि श्री शिव प्रसाद सिंह, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधुबनी राज्य के बीच कर्मियों के कैडर विभाजन के फलस्वरुप झारखंड राज्य में चले गये हैं एवं उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित मूल संचिका भी झारखंड राज्य में प्रेषित की जा चुकी है, अतएव गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना से इस संबंध में जानकारी देना संभव नहीं है।

उपरोक्त परिस्थिति में वाद की कार्रवाई आगे चलाना उचित नहीं प्रतीत होगा, अतएव तदनुसार वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है ।

(मो0 शकील अहमद)	(न्या0 शशांक कुमार सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त